अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब सूचना पत्र धारा 10 CPC पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। बहस प्रार्थना पत्र धारा 10 CPC पर सुनी गई। व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) के द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रकरण संख्या 91/2020 तथा नए पेश किए गए दावा 11/2022 में समान पक्षकार व समान अनुतोष है। इसलिए पूर्ववर्ती दावा के साथ पश्चातवर्ती दावा को संयोजित किए जाने के आदेश दिए जावे। हस्तगत वाद पत्र 11/2022 जनवान वीरपाल कौर बनाम सरजीत सिंह आदि व वादपत्र 91/2020 सरदूल सिंह बनाम सरजीत सिंह आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनो वादपत्र में पक्षकार व अनुतोष में वादग्रस्त भूमि समान है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ~~अ~~ धारा 10 CPC स्वीकार किया जाकर पूर्ववर्ती वादपत्र 91/2020 ~~के पश्चात~~ के साथ पश्चातवर्ती प्रस्तुत वादपत्र 11/2022 को संलग्न किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थना पत्र सामिल मिसल रहे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कपासन